न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/95/2018

उनवान

1. कुका आत्मज मोहन बैरवा निवासी रघुनाथपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर, जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा, के प्रकरण संख्या 125/2017 निर्णय दिनांक 28.12.2017 एवं नायब तहसीलदार, रायपुर के प्रकरण संख्या 168/2017 निर्णय दिनांक 20.9.2017

––

अधिवक्तागण :–

1. श्री सुनिल जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.5.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का डेलाना ने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर के यहॉ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 23 रकबा 0.55 हे0 किस्म गैर बीड में से 0.02 हे0 पर संवत 2074 में बाडा बनाकर अतिक्रमी कुका पिता मोहन बैरवा ने अतिक्रमण कर लिया अतः अतिक्रमी के विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण नायब तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर ने अप्रार्थी को ग्राम रघुनाथपुरा तहसील रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 23 रकबा 0.55 हे0 किस्म गैर बीड में से 0.02 हे0 पर संवत 2074 में बाडा बनाकर अतिक्रमी कुका पिता मोहन बैरवा को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय द्वारा लगान का पचास गुणा 50/–रूपये के अर्थदण्ड तथा अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने हेतु आदेशित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा में प्रथम अपील प्रस्तुत की ।

2. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2017 द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी की अपील को खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में दिनांक 28.12.2017 को पत्रावली आदेश में थी जिस पर नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 4.1.2018 को पेश किया गया परन्तु आदेश टंकित नहीं होने की जानकारी न्यायालय द्वारा अधिवक्ता को दी गई। दिनांक 8.2.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वास्तविकता यह है कि सरहद रघुनाथपुरा पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 23 जो राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है परन्तु उक्त भूमि ग्राम रघुनाथपुरा की आबादी से सटी हुई होकर अपीलार्थी व अन्य कई लोगों ने उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही बाडे बना रखे हैं। जिस पर अपीलार्थी अपने मवेशी, घास, फूस, लकडियॉ आदि बांधता व डालता चला आ रहा है। अपीलार्थी उक्त बाडे पर अपने पूर्वजों के समय से ही 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । उक्त भूमि की किस्म बीड है लेकिन उक्त भूमि चरागाह के रूप में काम नहीं आ रही है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में प्रथम पेशी दिनांक 20.9.2017 को थी, जिस पर अपीलार्थी ने प्रकरण में जवाब पेश करने हेतु निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कहा गया कि मामले में जवाब मुख्यालय पर पेश होगा व उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी करवाई गई । उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन बिना अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने, जवाब पेश करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदा सहाडा द्वारा अपीलाधीन निर्णय को विस्तृत पारित नही कर प्रोफार्मा में नाम पते भरकर निर्णय पारित किया गय है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को अपने मवेशी बांधने व घास, फूस डालने हेतु उक्त जगह के अलावा अन्य कोई जगह भी नहीं है तथा अपीलार्थी कई वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । यदि अपीलार्थी को बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थी अपने मवेशी रखने व घास फूस डालने से महरूम हो जायेगा । राज्य सरकार एक तरफ तो गरीब लोगों को स्थापित करने हेतु अग्रसर है, दूसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्षो से काबिज व चरागाह के रूप में काम नहीं आ रही भूमि पर जो अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियों के बाडे बने हुए है को बेदखल करने का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त भूमि पर अपीलार्थी का उनके पूर्वजों के समय से ही बाडा बना हुआ होकर आधिपत्य चला आ रहा है । पटवार हल्का की रिपोर्ट अनुसार कब्जे की भूमि का नियमन शुल्क अदा करने को भी तैयार है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है पटवार हल्का द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध तथ्य छुपाकर उक्त कार्यवाही की है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवार हल्का के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र गवाह के बयान उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

12. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर बाडा बनाया गया है। अपीलार्थी ने स्वयं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. अपीलार्थी का यह निवेदन किया कि उसे अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में जो अपील प्रस्तुत की है उस अपील मेमो के पेरा नम्बर 2 में यह अंकित किया है कि " सरहद रघुनाथपुरा पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 23 जो राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है परन्तु उक्त भूमि ग्राम रघुनाथपुरा की आबादी से सटी हुई होकर अपीलार्थी व अन्य कई लोगों ने उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही बाडे बना रखे हैं। जिस पर अपीलार्थी अपने मवेशी, घास, फूस, लकडियॉ आदि बांधता व डालता चला आ रहा है। अपीलार्थी उक्त बाडे पर अपने पूर्वजों के समय से ही 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । उक्त भूमि की किस्म बीड है लेकिन उक्त भूमि चरागाह के रूप में काम नहीं आ रही है।"इससे यह तथ्य भलीभॉति प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाडा बना रखा है तथा अपीलाण्ट द्वारा स्वयं पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की स्वीकारोक्ति की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. अपील मीमों व उपलब्ध पत्रावली के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चारागाह की भूमि पर अतिचार कर बाडा बनाया गया है । उक्त बाडे की भूमि का नियमन भी चाहता है परन्तु अपीलाधीन आदेशों में निर्णय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जारी किया गया है, तथा यह भी माना है कि चरागाह भूमि नियमानुसार नियमन नहीं की जा सकती है।

16. पटवारी हल्का द्वारा भी नायब तहसीलदार, सहाडा के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि किस्म चरागाह पर अतिचार कर बाडा बनाने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी को पूर्व में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2017 के क्रम में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा व न्यायालय हाजा द्वारा भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी तथा अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने वादग्रस्त भूमि पर बाडा बनाकर उसका उपयोग उपभोग मवेशी बांधने, घास फुस रखने आदि करने का कथन किया है। अपीलार्थी की मंशा किसी भी परिस्थिति में राजकीय भूमि पर किये गये पश्चातवर्ती अतिक्रमण को छोडने की नहीं है तथा अपीलार्थी द्वारा इस क्रम में बार–बार नियमन किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी की पश्चातवर्ती अतिक्रमण की स्वीकारोक्ति स्वयं सिद्ध है। अतः द्वितीय अपील सारहीनहोने से खारिज योग्य है।

17. चरागाह की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार करने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

18. अतः द्वितीय अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2017 एव नायब तहसीलदार, सहाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.9.2017 को यथावत रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 29.5.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

29/5/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा